



उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)

अहकाम  
बनाम  
शान्तिदेवी कौर  
प्राणपण भ्रमभानकी  
8/10/18

दिनांक आत्मसम्मानं जयते  
कौटुंबिक

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

20-2-18 वसुलाप उक्त P.O-हाठ  
दों के पधार है गत आदेशकी  
पालना के दिनांक 24-4-18 को  
पेस हो।

प्रस्तुतकार  
उप-खण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)

24-4-18 वसुलाप आ उक्त भाटके  
की पालना के दिनांक 24-4-18  
को पेस हो।

उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)

21/05/18


प्रकरण राजस्व लोक अदालत  
में पेश हुआ। प्रकरण दिनांक  
09-06-2018 से दर्ज पंजीक है तथा  
दिनांक 26-11-14 से साक्ष्य सापल  
में निपत चल रहा है। बार-बार  
अवलर दिये जाने उपरान्त भी  
साक्ष्य पूर्ण नहीं करकोप गये।  
साक्ष्य बन्द की जाती है।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध  
डल्लावेजे विधि के सुसंगत प्रवक्तो  
का अवलोकन किया गया। सापल  
द्वारा प्रकरण में ऐसा कोई दल्लावेजे  
साक्ष्य पेश नहीं किया गया है,



फर्द अहकाम  
बनाम

नाम न्यायालय  
केस संख्या



क्रम संख्या

दिनांक आज्ञा या  
कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष

जिससे यह साबित होगा है कि  
श्री. लख से न्यायालय आदेश  
की अवहेलना हुई है। कला  
हस्तगत प्रथम पत्र साक्ष्य अभाव  
में सरहीन होते से खारिज किया  
जाता है। निर्णय मजरे काफ सुनाना  
उप्रा। प्रजावली फैमल शुम्पु हाविल  
इफ्तर रहे।

पीठासीन अधिकारी  
राजस्व लोक अदालत  
न्याय आपके द्वार-2018  
उपखण्ड- विराटनगर (जयपुर)

